विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0–14/एडमिन (डी)सेक्शन, दिनांकित 15 अक्टूबर, 2022 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सीतापुर द्वारा दीवानी न्यायालय के सेवानिवृत्त आशुलिपिकों की पुनर्नियुक्ति किये जाने के सम्बंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक दिनांक 25.07.2024 को आहूत की गयी जिसमें आशुलिपिकों के रिक्त पदों की संख्या के सन्दर्भ में प्रशासनिक अधिकारी से आख्या आहूत की गयी, उनकी आख्यानुसार आशुलिपिक के पद रिक्त हैं।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0–14/एडमिन (डी)सेक्शन, दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त आशुलिपिकों में से Substantive पदों के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवगत कराने के उपरांत पुर्ननियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होंगीः–

1– उक्त जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो।

2– पुर्ननियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए होगी अथवा जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी न कर ले।

3– उक्त सेवानिवृत्त आशुलिपिक जिसको पुनर्नियुक्ति प्रदान की जायेगी, को अंतिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि घटाई जायेगी, के सिद्धांतों के आधार पर वेतन की धनराशि देय होगी।

4–सम्बंधित कर्मचारी का पूर्व रिकार्ड और उसकी वार्षिक चरित्र पंजिका को ध्यान में रखते हुए उसे नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में यदि कोई जनपद न्यायालय का सेवानिवृत्त आशुलिपिक रिक्त पदों पर उपरोक्त निर्देश के अनुसार पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है तो वह दिनांक 05.08.2024 को सायं 5 बजे तक जनपद न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए तथा एक प्रति मा0 उच्च न्यायालय को Official website पर प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाए।

(ज्ञान प्रकाश III)
अध्यक्ष,
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति समिति/
अपर जिला जज, कोर्ट सं0–01
सीतापुर।
25.07.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–बाहय न्यायालय बिसवॉं एवं महमूदाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने न्यायालय के परिसर में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा देंगे।

2–ग्राम न्यायालय सिधौली एवं लहरपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने न्यायालय के परिसर में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा देंगे।

3–सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर सेक्शन, दीवानी न्यायालय सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि वह न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

4–प्रशासनिक अधिकारी, दीवानी न्यायालय सीतापुर सेवानिवृत्त आशुलिपिकगण जिनकी आयु 65 वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुई है, को दूरभाष से अवगत करायें।

(ज्ञान प्रकाश III)
अध्यक्ष,
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति समिति/
अपर जिला जज, कोर्ट सं0–01
सीतापुर।
25.07.2024